

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी-3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेंसी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक- एफ 7 (2)(551)रा.छा./ सान्याओषि/17/ 39552

जयपुर, दिनांक: 11-7-2017

आदेश

राज्य सरकार की वर्ष 2012-13 की बजट घोषणा संख्या 58के अन्तर्गत जोधपुर जिला मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय स्तरीय (अनुसूचित जाति) बालिका छात्रावास, जोधपुर में 50 की आवासीय क्षमता का छात्रावास शैक्षणिक सत्र 2017-18 से स्वीकृति लेखा शीर्ष 2225-01-196-(02)-[02] राज्यनिधि के अन्तर्गत संचालन करने की प्रशासनिक स्वीकृति एतदद्वारा प्रदान की जाती है।

नव निर्मित राजकीय महाविद्यालय स्तरीय (अनु. जाति) बालिका छात्रावास, जोधपुर हेतु लेखाशीर्ष 2225-01-196-(02)-[02] राज्यनिधि के अन्तर्गत निमानुसार नवीन पदों का सृजन किया जाता है :-

क्र. स.	पद का नाम	नवसृजित स्वीकृत पदों की संख्या	पे-बैण्ड एवं ग्रेड-पे
1.	छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-ग योग	1 1	5200-20200 (2400)

उक्त छात्रावास में चौकीदार एवं रसोईयां का कार्य जॉब बेसिस पर (Outsourcing of job) करने की सहमति निमानिकित शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती है :-

- उक्त कार्य हेतु किसी भी स्थिति में सीधे रूप से व्यक्तियों की सेवाएं नहीं ली जावेगी, ना ही व्यक्तियों को एजेन्सी के माध्यम से अनुबन्धित किया जायेगा।
- जॉब पर कराये जाने वाले कार्य का निर्धारण/विवरण (Scope of work) का स्पष्ट विवरण अंकित करते हुये विभाग RTPP Act 2012 & Rule 2013 के प्रावधान एवं प्रक्रियों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करेगा।
- व्यय उपलब्ध बजट प्रावधान की सीमा में ही रखा जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- स्वीकृत पदों के विरुद्ध उक्त व्यवस्था लागू नहीं होगी।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-2) विभाग की आई संख्या 101703309 दिनांक 22.06.2017 के अनुसरण में जारी की जाती है।

(डॉ. समित शमी)

निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव

क्रमांक:- एफ 7 (2)(551)रा.छा./ सान्याओषि/17/ 39553-63

जयपुर, दिनांक: 11-7-2017

प्रतिलिपि:- निमानिकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक (सर्तकता एवं प्रशासन), मुख्यावास को भेजकर लेख है कि उक्त नवीन सृजित पदों का संबंधित कैडर स्ट्रेन्थ में शामिल कर ऑनलाइन करावे तथा रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही करावें।
- जिला कलक्टर, जोधपुर।
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जोधपुर।
- वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास को वित्त विभाग द्वारा दी गई स्वीकृति की छायांप्रति संलग्न कर भिजवाते हुये लेख है कि वे उक्त छात्रावास संचालन के लिये आवश्यक बजट एवं अनावर्तक सामग्री शीघ्र ही उपलब्ध करवाने का श्रम करें।
- उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जोधपुर।
- एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यावास को भेजकर लेख है कि वे उक्त आदेश को तत्काल विभागीय जिलाधिकारी, जोधपुर को ई.मेल कराते हुये आदेश में उल्लेखित नवीन छात्रावासों को छात्रावास सूची में सूचीबद्ध करवाने का श्रम करें।
- आदेश पत्रावली।

निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव

Pl. scan & send to
Support

Mang